15/15
(मुकदमा)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 211B/2017-18

सत्यनारायण महतो **बनाम** लक्ष्मी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
10-08-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1111 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 211B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सत्यनारायण महतो, पिता स्व0 गंगाधर महतो, ग्राम-धाधकीडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने मकान मरम्मति एवं पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता लक्ष्मी महतो, पति- शम्भू चरण महतो, ग्राम-हाथीटाँड, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
धाधकीडीह	152	18	122	0.10ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादा एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 5.97 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

10/8/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner